फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री जीवाराम जाति मेघवाल निवासी खाम्बल तहसील सिरोही जिला सिरोही		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 60 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.11.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 06.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि मौजा खाम्बल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 163 व 164 में पी.डब्ल्यू.डी विभाग के नाम नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 21.11.1978 के द्वारा गै.मु.सडक दर्ज की गई है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 341 में किसके आदेश से सडक दर्ज की गई है, उक्त आदेश की प्रति से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 06.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि मौजा खाम्बल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 163 व 164 में पी.डब्ल्यू.डी विभाग के नाम नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 21.11.1978 के द्वारा गै.मु.सडक दर्ज की गई है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 341 में यह भूमि किसके आदेश से सडक दर्ज की गई है, उक्त आदेश की प्रति से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। उपरोक्त सूचना तहसीलदार सिरोही से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 450 दिनांक 06.08.2021 को प्रकरण उक्त कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि तहसीलदार सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 08 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2022.01.17 16:08:43 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner